



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072023-247109
CG-DL-E-06072023-247109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2862]
No. 2862]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2023/आषाढ़ 15, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2023/ASHADHA 15, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2023

का.आ. 2987(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 11 के साथ पठित अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 7 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री शिव कुमार सिंह-I, न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल की अधिवर्षिता के परिणामस्वरूप अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण, तारीख 6 जुलाई 2023 से उस तारीख तक जब तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अधिनियम, 2010 के साथ पठित अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के उपबंधों के अनुसार किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा.सं. 17(30)/2017-पीएल]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2023.

S.O. 2987(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010) read with clause (a) of rule 7 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, the Central Government hereby authorises Mr. Justice Sheo Kumar Singh-I, Judicial Member, National Green Tribunal to act as Chairperson of the National Green Tribunal, as the vacancy in the office of Chairperson has arisen due to superannuation of Mr. Justice Adarsh Kumar Goel, with effect from 6th July, 2023 until the date on which a new Chairperson is appointed in accordance with the provisions of the Tribunal Reform Act, 2021 read with National Green Tribunal, Act 2010.

[F. No.17(30)/2017-PL]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.